संख्या:1569/ 35-1-2014-2/ 1(86)/ 2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वित्त/ उद्यान/ वन/ कृषि / ग्राम्य विकास/ पंचायती राज/
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत / ऊर्जा विभाग/ गन्ना एवं चीनी उद्योग/
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन/ आबकारी/ पशुपालन/ खादी एवं ग्रामोद्योग/
औद्योगिक विकास/ खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 14 नवम्बर, 2014

विषय: "राज्य जैव ऊर्जा नीति" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों से पूर्ति करते हुए पेट्रोलियम आधारित ईंधन की खपत को कम करने, ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में गुणात्मक रूप से कमी लाने तथा बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से "राज्य जैव ऊर्जा नीति" लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

"राज्य जैव ऊर्जा नीति" की विशिष्टियाँ निम्नानुसार हैं:-

1- उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि, सामाजिक वानिकी तथा चारागाह हेतु अनुपयुक्त भूमि का उपयोग कर जैव आधारित ईंधन का उत्पादन करते हुए पेट्रोलियम आधारित ईंधन की खपत को कम किया जायेगा। इस हेतु प्रदेश में उपलब्ध बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य परती भूमि तथा वर्तमान परती भूमि का उपयोग किया जायेगा।

2- प्रदेश में किसानों को खेत की सुरक्षा हेतु खेत की चारों ओर मेड़ पर बायो डीजल पौध के रूप में जट्रोफा का अधिक से अधिक रोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा। जट्रोफा

शासनादेश.काम
www.shasnadesh.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की फली अखाद्य प्रकृति की होती है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कृषि/ औद्योगिक गोष्ठियों के माध्यम से सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जायेगा।

3. जैव ऊर्जा नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित मिशन होंगे:-

3.1 मिशन बायो डीजल- प्रदेश के कृषि चारागाह एवं सामाजिक वानिकीकरण हेतु अनुपयुक्त ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि एवं निजी भूमि का उपयोग कर बायो डीजल उत्पादन हेतु करंज, जट्रोफा, नीम, महुआ तथा सीमारूबा जैसे बायो डीजल पौधों का रोपण करते हुए बायो डीजल उत्पादन को बढावा दिया जायेगा। इस कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग तथा उद्यान विभाग अपनी विभिन्न विकास परियोजनाओं के कन्वर्जेन्स के माध्यम से इस कार्यक्रम हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य हेतु पब्लिक सेक्टर की तेल कम्पनियों/ कार्यक्रम से जुडी प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों को अवसर प्रदान किया जायेगा जो पब्लिक-प्राइवेट-पंचायत-पार्टनरशिप (पी-4) मोड में कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेंगी। बायो डीजल विधायन संयंत्र पब्लिक सेक्टर की तेल कम्पनियों/ कार्यक्रम से जुडी प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों द्वारा अपनी लागत पर स्थापित किये जायेंगे।

3.2 मिशन बायो एथेनाल- प्रदेश के कृषि चारागाह एवं सामाजिक वानिकीकरण हेतु अनुपयुक्त ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि एवं निजी भूमि पर गैर गन्ना आधारित फसलों जैसे- स्वीट सोरगुम, कसावा, शुगरबिट इत्यादि का उत्पादन करते हुए बायो एथेनाल का उत्पादन किया जायेगा। इसके अलावा समस्त प्रकार के सेल्यूलॉजिक अपशिष्ट जैसे- सड़े हुए आलू, सड़े हुए फल एवं सब्जियों इत्यादि का भी उपयोग किया जायेगा। इस कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग तथा उद्यान विभाग अपनी विभिन्न विकास परियोजनाओं के कन्वर्जेन्स के माध्यम से इस कार्यक्रम हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य हेतु पब्लिक सेक्टर की तेल कम्पनियों/ कार्यक्रम से जुडी प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों को अवसर प्रदान किया जायेगा जो पब्लिक-प्राइवेट-पंचायत-पार्टनरशिप (पी-4) मोड में कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेंगी। बायो एथेनाल विधायन संयंत्र पब्लिक सेक्टर की तेल कम्पनियों/ कार्यक्रम से जुडी प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों द्वारा अपनी लागत पर स्थापित किये जायेंगे।

शासनादेश.कॉम
www.shasnadesh.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.3 मिशन बायोगैस- समस्त प्रकार के सड़ने योग्य कृषि, वानिकी एवं पशुपालन आधारित अपशिष्टों का उपयोग करते हुए नवीन तकनीकी (बी0 इ0 एम0 सी0 - यूनिसेफ मॉडल) द्वारा विकसित बायोगैस संयंत्रों को सामूहिक तथा निजी क्षेत्र में स्थापित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा एवं बायो फर्टिलाइजर की आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी। इस कार्य में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन मद से पंचायती राज विभाग तथा मनरेगा के ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन मद से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। साथ ही उक्त माडल में उद्यमियों को स्थापित लघु/ ग्रामीण इकाईयों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना/ मुख्य मंत्री रोजगार योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

3.4 मिशन प्रोड्यूसर गैस- प्रदेश के कृषि चारागाह एवं सामाजिक वानिकीकरण हेतु अनुपयुक्त ग्राम पंचायत की सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर काष्ठ आधारित पौध रोपण का कार्य किया जायेगा। इससे प्राप्त काष्ठीय अपशिष्ट, नगरीय एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध जलने योग्य कूड़े तथा औद्योगिक इकाईयों में उत्पादित जैव अपशिष्ट का उपयोग कर प्रोड्यूसर गैस का उत्पादन किया जायेगा। इस गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन एवं अन्य संवर्गीय उपयोगों हेतु किया जायेगा। यह कार्य प्राइवेट सेक्टर उद्यमियों द्वारा किया जायेगा।

4- उद्देश्य:

प्रस्तावित राज्य जैव ऊर्जा नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं:-

4.1 प्रदेश के कृषि, सामाजिक वानिकी तथा चारागाह हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि पर जेट्रोफा, करंज, नीम, महुआ, सीमारूबा इत्यादि पौधों का रोपण कर बायो डीजल हेतु तैलीय बीजों का उत्पादन करना।

4.2 प्रदेश के कृषि, सामाजिक वानिकी तथा चारागाह हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि पर स्वीट सोरगुम (ज्वार), कसावा तथा अन्य सेल्यूलॉजिक इत्यादि फसलों का रोपण कर बायो एथेनाल हेतु कच्चे माल का उत्पादन करना।

4.3 निजी क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को बायो डीजल तथा बायोएथेनाल उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु सहयोग प्रदान करना।

4.4 कृषि, सामाजिक वानिकी तथा पशुपालन अपशिष्टों का उपयोग कर नवीन तकनीकी पर आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करना।

शासनादेश कॉम
www.shasnadesh.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4.5 समस्त प्रकार के वूडी (काष्ठ) बायोमॉस अपशिष्टों का उपयोग कर नवीन तकनीकी पर आधारित प्रोड्यूसर गैस इकाईयों की स्थापना करना।

4.6 जैव ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को कार्बन क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना।

4.7 जैव ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न स्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।

4.8 जैव ऊर्जा क्षेत्र में आवश्यक शोध एवं विकास कार्यक्रमों का संचालन करना।

5- परिभाषा:

जैव ईंधन हेतु इस नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित परिभाषायें लागू होती हैं:-

5.1 "जैव ईंधन" द्रव अथवा गैसीय ईंधन है। यह बायोमास संसाधनों द्वारा उत्पन्न होते हैं और डीजल, पेट्रोल, एल0 पी0 जी0, सी0 एन0 जी0 तथा अन्य पेट्रोलियम आधारित ईंधन के स्थान पर अथवा इनके साथ ब्लेण्ड कर परिवहन साधनों एवं अन्य ईंधन प्रयोगों के काम आते हैं।

5.2 "बायोमास संसाधन" यह प्राकृतिक उत्पादों के जैव अपघटित अंश होते हैं। जैसे कृषि अपशिष्ट, पशुपालन अपशिष्ट, वानिकी, म्यूनिसिपल कचरा एवं तत्सम्बन्धी उद्योगों के जैव अपघटित अंश इत्यादि।

5.3 "बायो ऐंथेनाल" बायोमास के वे अंश जिनमें सेलूलोज का अंश विद्यमान हो जैसे: गन्ना, चुकन्दर, स्वीट सोरगुम आदि से ऐंथेनाल उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जिन पदार्थो में स्टार्च पाया जाता है। जैसे: मक्का, कसावा, ऐलगी (शैवाल) आदि तथा अन्य सेल्यूलोज युक्त पदार्थ जैसे बगास, लकड़ी का कचरा, कृषि एवं वानिकी कचरा आदि।

5.4 "बायो डीजल" अखाद्य प्रकृति के वनस्पति तेलों और पशुओं की चर्बी (डीजल की क्वालिटी युक्त) से प्राप्त फैटी एसिड से उत्पन्न मिथाईल या इथाईल एस्टर है।

6- प्रस्तावित राज्य जैव ऊर्जा नीति से सम्बन्धित रणनीति, राजस्व एवं वित्तीय प्रोत्साहन, अनुसंधान, विकास तथा प्रदर्शन, गुणवत्ता मानक, जैव ईंधन के आयात एवं निर्यात इत्यादि से सम्बन्धित विवरण "राज्य जैव ऊर्जा नीति" पर अलग से प्रस्तुत है जो संलग्नक पर है।

7- रणनीति:

बायो डीजल तथा बायो एथेनाल हेतु वृक्षा रोपण/ पौध रोपण:

शासनादेश कॉम
www.shasnadesh.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7.1 राज्य में जैव ऊर्जा सेक्टर के विकास के लिए सामान्य कृषि, चारागाह तथा सामाजिक वानिकी हेतु पूर्णतः अनुपयोगी भूमि पर अखाद्य तेल वाले बीजों एवं झाडियों की खेती करके बायो डीजल उत्पन्न किया जायेगा। इसमें जेट्रोफा, करंज, नीम, महुआ, सीमारूबा इत्यादि की खेती/ वृक्षारोपण सम्मिलित है।

7.2 बायोडीजल के उत्पादन के लिए ट्री बार्न ऑयल सीड्स की उचित प्रजाति को उनकी क्षेत्रीय सार्थकता/ उपयोगिता के आधार पर चयनित किया जायेगा। वृक्षारोपण एवं खेती करने वालों को राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थाओं/ संगठनों की नर्सरियों से गुणवत्ता युक्त पौध उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक दशा में पौध रोपण के लिए भूमि का चयन पंचायतों एवं उससे सम्बद्ध स्थानीय समुदायों की सलाह से किया जायेगा तथा उस पर वृक्षारोपण बायो इनर्जी मिशन सेल के समन्वय द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण के उपरान्त पौधों के रखरखाव तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों के प्रबन्धन हेतु पी0 आई0 ए0 (Project Implementation Agency) एप्रोच आधार पर कार्य किया जायेगा।

7.3 वर्तमान में ऐंथेनाल मुख्यतः शीरे से बनता है, जो कि चीनी उद्योग का सह उत्पाद है। राज्य जैव ऊर्जा नीति में गन्ना के अतिरिक्त अन्य जायद कृषि आधारित फसलों जैसे स्वीट सोरगुम (ज्वार), कवासा तथा अन्य सेल्यूलोज युक्त पदार्थ का उत्पादन कर बायो ऐंथेनाल का उत्पादन किया जायेगा।

7.4 किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों को बायो डीजल और बायो ऐंथेनाल के फीड स्टाक वाले वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। कार्पोरेट हाऊस को भी पंचायतों के साथ मिलकर किसानों, कृषक सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और फारमर प्रोड्यूसर कम्पनीज को शामिल करके "बायो डीजल वैल्यू चेन परियोजना" को पी0-4 (पब्लिक-प्राइवेट-पंचायत-पार्टनरशिप) माडल के अन्तर्गत संचालित करना है। इस प्रकार के वृक्षारोपण/ खेती को मनरेगा कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत "जीवन ज्योति परियोजना" तथा इस प्रकार की अन्य विकास परियोजनाओं के कन्वर्जेन्स से मनरेगा दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सहायता मिलेगी।

प्रसंस्करणः

7.5 उत्पादित फीड स्टाक के प्रसंस्करण हेतु निजी क्षेत्र/ पब्लिक सेक्टर लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर की औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित करेगा। इन इकाईयों की स्थापना हेतु राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का प्रत्यक्ष

शासनादेश कॉम
www.shasnadesh.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाभ प्रदान किया जायेगा। इन योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना तथा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राज्य सरकार की उद्योग नीति में मध्यम तथा वृहद स्तर के प्रसंस्करण उद्योगों हेतु अनुमन्य वित्तीय लाभ भी प्रदान किया जायेगा। सम्बन्धित कार्पोरेट हाऊस को बायो एथेनाल उत्पादन, संग्रहण तथा विपणन हेतु जिला उद्योग बन्धु के माध्यम से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस कार्य हेतु जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

बायोडीजल एवं बायोएथेनाल का वितरण एवं विपणन:

7.6 कृषक समुदाय द्वारा उत्पादित जैव ईंधन (बायो डीजल-क्रूड) उनकी अपनी कृषि और संवर्गीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग के उपरान्त बचा हुआ जैव ईंधन (बायो डीजल-क्रूड) प्राइवेट/ पब्लिक सेक्टर की प्रसंस्करण इकाई को स्थानान्तरित/ विपणन कर दिया जायेगा।

7.7 जैव ईंधन की उपलब्धता में उतार-चढाव को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियो को ब्लैण्डिंग के पश्चात बचे हुए डीजल, बायो एथेनाल के भण्डारण की अनुमति होगी और वे इस भण्डार को अगले वर्ष में कमी होने की स्थिति में उपयोग कर सकेंगे जिससे उसकी उपलब्धता निर्धारित स्तर तक बनी रहे। बायो एथेनाल के विपणन हेतु जिला उद्योग बन्धु के माध्यम से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस कार्य हेतु जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

बायोगैस उत्पादन एवं विपणन:

7.8 समस्त प्रकार के सड़ने योग्य कृषि/ सामाजिक वानिकी अपशिष्टों एवं पशुपालन अपशिष्टों का फीड स्टाक (कच्चा माल) के रूप में उपयोग कर नवीन बायोगैस तकनीकी का प्रयोग करते हुए बायोगैस उत्पादन का कार्य व्यक्तिगत/ सामुदायिक स्तर पर संचालित किया जायेगा। ग्राम पंचायतों में बायोगैस उत्पादन कार्यक्रम को मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान के ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन मद से आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अलावा इस प्रकार की इकाईयों की स्थापना हेतु विभिन्न क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनायें जैसे मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से भी आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। उत्पादित बायोगैस का उपयोग क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण उपभोक्ताओं

शासनादेश कॉम
www.shasnadesh.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा अपनी खाना पकाने तथा रात्रि में प्रकाश हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जायेगा। बायोगैस उत्पादन कार्यक्रम के दौरान सह उत्पाद के रूप में उच्च गुणवत्ता की बायोस्लरी प्राप्त होती है जो खेती हेतु बायोफर्टीलाइजर (जैविक खाद) के रूप में प्रयुक्त होगी। इसका भी उपयोग क्षेत्रीय रूप से किसानों द्वारा किया जायेगा।

प्रोड्यूसर गैस उत्पादन एवं विपणन:

7.9 समस्त प्रकार के वूडी (काष्ठ) बायोमास अपशिष्टों का उपयोग कर नवीन प्रोड्यूसर गैस उत्पादन तकनीकी का उपयोग करते हुए प्रोड्यूसर गैस उत्पादन का कार्य क्षेत्रीय स्तर पर किया जायेगा। इस प्रकार की इकाईयों की स्थापना हेतु विभिन्न क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनायें जैसे मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। इस प्रकार उत्पादित ऊर्जा का उपयोग क्षेत्रीय स्तर पर लघु औद्योगिक इकाईयों के संचालन तथा विकेन्द्रीकृत स्तर पर ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु किया जायेगा।

8. वित्तीय एवं राजस्व प्रोत्साहन:

8.1 केन्द्र सरकार के स्तर से बायो ऐंथनाल हेतु पूर्व से ही एक्साइज ड्यूटी में 16 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है एवं बायो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में शत-प्रतिशत की छूट उपलब्ध है। यह सुविधा राज्य में स्थापित बायो डीजल एवं बायोएथेनाल इकाईयों को यथावत उपलब्ध होगी।

8.2 जैव ऊर्जा उत्पादों अर्थात बायो डीजल, बायो एथेनाल, बायो गैस व प्रोड्यूसर गैस सरकार द्वारा घोषित उत्पादों के अन्तर्गत आच्छादित होंगे जिससे प्रदेश एवं उसके बाहर उसकी निर्बाधित ढुलाई हो सके। राज्य सरकार द्वारा जैव ऊर्जा उत्पादों एवं उससे संबंधित उपकरणों तथा मशीनरी आदि पर वैट से नियमानुसार छूट प्रदान किया जायेगा। 10 वर्ष तक छूट के उपरान्त इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जायेगा।

9. नीति के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की भूमिका:

9.1 जैव ऊर्जा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति (बायो इनर्जी सेक्टर) द्वारा किया जायेगा। जैव ऊर्जा परियोजनाओं के समन्वय का कार्य नियोजन विभाग के अन्तर्गत निदेशक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की देख-रेख में राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल द्वारा किया जायेगा। समिति में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे : पंचायती

शासनादेश कॉम
www.shasanadesh.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

राज, ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, वन, गैर पारम्परिक ऊर्जा विभाग, आबकारी, वित्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, पशुपालन विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग सम्मिलित हैं। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार उक्त समिति की संरचना में बदलाव करेगी।

9.2 नीति के क्रियान्वयन में सम्बन्धित शासकीय विभागों की भूमिका का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

(i) ग्राम्य विकास विभाग: प्रदेश में बायो फ्यूल क्राप्स जैसे-जेट्रोफा, करंज इत्यादि के रोपण हेतु मनरेगा कन्वर्जेन्स के माध्यम से जीवन ज्योति परियोजना द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों को उनकी मांग के अनुसार वित्तीय संसाधन मनरेगा दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाता है। उक्त सुविधा जेट्रोफा तथा करंज इत्यादि जैसे बायो फ्यूल क्राप्स के रोपण हेतु ग्राम पंचायत भूमि तथा निजी भूमि पर मनरेगा दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध करायी जायेंगी।

(ii) पंचायती राज विभाग: बायोगैस माडल, जो नवीन तकनीकी पर आधारित हो, को निर्मल भारत अभियान के ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन मद का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायतों में स्थापित करना।

(iii) उद्यान विभाग: उद्यान विभाग नीम पौधों के रोपण में राष्ट्रीय औषधि पौध मिशन के अन्तर्गत आवश्यक सहयोग किसानों को प्रदान करता है। नीम भी ट्री बार्न ऑयल सीड के रूप में कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बायो डीजल हेतु अनुमन्य है। उद्यान विभाग द्वारा नीम पौध रोपण हेतु सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(iv) वन विभाग: वन विभाग लैन्टाना का उपयोग कर ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रोड्यूसर गैस आधारित प्रस्ताव को सहयोग प्रदान करेगा। इसके अलावा वन विभाग द्वारा वन भूमि में करंज, नीम, महुआ, सीमारूबा इत्यादि पौधों का रोपण कर बायोडीजल परियोजना के संचालन में सहयोग प्रदान किया जायेगा। फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट का भी सहयोग संबंधित शोध एवं विकास कार्यो हेतु प्रदान किया जायेगा।

(v) अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग : विभाग द्वारा जैव ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु प्रचार-प्रसार में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(vi) गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग: गन्ने को छोड़कर अन्य सेल्युलॉजिक जैव उत्पादों जैसे- स्वीट सोरगुम, सड़े हुए फल, सड़ी हुई सब्जियां, शुगरबिट, कसावा इत्यादि से बायो एथेनाल तैयार करने का प्रस्ताव राज्य जैव ऊर्जा नीति में है। बायो एथेनाल उत्पादक द्वारा किसी भी परिस्थिति में गन्ने का प्रत्यक्ष उपयोग न किया जाय, इसकी मानीटरिंग विभाग द्वारा की जायेगी।

शासनादेश.कॉम
www.shasnadesh.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(vii) <u>संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग</u>: अन्य राज्यों जैसे- छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड तथा राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश में भी बायो फ्यूल तथा बायो फ्यूल मशीनरी पर संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा वैट में प्रथम 10 वर्ष तक छूट प्रदान की जायेगी।

(viii) <u>आबकारी विभाग</u>: सेल्युलॉजिक जैव उत्पादों जैसे- स्वीट सोरगुम, सड़े हुए फल, सड़ी हुई सब्जियां, शुगरबिट, कसावा इत्यादि से बायो फ्यूल/ बायो एथेनाल उत्पादन, संग्रहण तथा विपणन हेतु सम्बन्धित कारपोरेट सेक्टर को आवश्यक अनुज्ञापन आबकारी विभाग से प्राप्त करना होगा। उक्त अनुज्ञापन सम्बन्धित कारपोरेट हाउस जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति के समन्वय से जिला उद्योग बन्धु के माध्यम से सीधे प्राप्त करेगा।

(ix) <u>कृषि विभाग</u>: सामान्य कृषि, चरागाह एवं सामाजिक वानिकी हेतु अनुपयुक्त भूमि पर बायो इनर्जी क्राप्स के रोपण तथा बायोगैस उत्पादन कार्यक्रम से प्राप्त बायोस्लरी/ बायोफर्टीलाइजर के सघन प्रयोग में विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(x) <u>पशुपालन विभाग</u>: सामान्य चारागाह, कृषि एवं सामाजिक वानिकी हेतु उपयुक्त भूमि को छोड़कर अन्य भूमि पर बायो इनर्जी क्राप्स का रोपण तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मिनी डेयरी/ वृहद डेयरी की परियोजनाओं से डवटेल कर बायोगैस उत्पादन कार्यक्रम का संचालन करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(xi) <u>खादी ग्रामोद्योग विभाग</u>: उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण औद्योगिक विकास हेतु अनुमन्य विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत जैव ऊर्जा उत्पादन से सम्बन्धित लघु उद्यमियों को अनुमन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करेगा।

(xii) <u>औद्योगिक विकास विभाग</u>: औद्योगिक विकास विभाग जैव ऊर्जा उत्पादन से सम्बन्धित उद्यमियों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न औद्योगिक विकास परियोजनाओं का लाभ प्रदान करेगा।

(xiii) <u>खाद्य एवं रसद विभाग</u>: खाद्य एवं रसद विभाग जैव ऊर्जा उत्पादन से संबंधित उद्यमियों एवं उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं का लाभ प्रदान करेगा।

उक्त समस्त विभाग "राज्य जैव ऊर्जा नीति" के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार अपने विभाग से सम्बन्धित शासनादेश यथा आवश्यकता निर्गत करेंगे।

शासनादेश ● कॉम
www.shasnadesh.com

9.3 बायो इनर्जी परियोजनाओं के जनपद स्तर पर क्रियान्वयन तथा मानिटरिंग जनपदों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समितियों द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया जायेगा। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार उक्त समिति की संरचना में बदलाव करेगी।

10. नीति के लागू होने के उपरान्त अनुमानित उपलब्धियाँ:

10.1 प्रस्तावित राज्य जैव ऊर्जा नीति के लागू होने पर निम्नलिखित प्रत्यक्ष उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी:-

(i) राज्य जैव ऊर्जा नीति लागू होने से उचित पर्यावरण प्रबन्धन होगा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि संभावित है।

(ii) राज्य जैव ऊर्जा नीति लागू होने से कृषि उत्पादन में प्रयोग होने वाले कृषि निवेशों जैसे डीजल, बिजली आदि पर होने वाला व्यय कम होगा, जिससे कृषि उत्पादन की लागत कम होगी।

(iii) कृषि उत्पादन की लागत कम होने से कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इससे खेती समृद्ध होगी एवं उत्पादन में वृद्धि होगी।

(iv) बंजर, ऊसर/ बीहड़/ जल भराव भूमि का सदुपयोग होगा एवं कृषकों को अतिरिक्त रोजगार के साधन प्राप्त होंगे।

(v) प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बायोडीजल हेतु जेट्रोफा/ कैस्टर आदि पौधों का रोपण बीहड़/ बंजर एवं अन्य बेकार पड़ी भूमि पर ही किया जायेगा। उसी प्रकार बायोगैस गोबर तथा अन्य कृषि एवं सामाजिक वानिकी अपशिष्टों से उत्पादित होगी। बायोगैस इकाईयों से प्राप्त जैविक खाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा जिससे आर्गेनिक खेती को बढावा मिलेगा।

(vi) जैव ऊर्जा उत्पादों की सुनिश्चित उपलब्धता होने के उपरान्त पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी आयेगी। इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भण्डार में बचत होगी।

(vii) विकेन्द्रीकृत स्तर पर लघु एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाईयों के ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी जिससे इस क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ेगी तथा इन इकाईयों के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के अनगिनत अवसर सृजित होंगे।

10.2 वर्ष 2020 के अन्त तक लगभग 10 लाख युवाओं हेतु स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे।

अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार "राज्य जैव ऊर्जा नीति" का प्रदेश में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किये जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

शासनादेश ● कॉम
www.shasnadesh.com
http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 1569(1)/35-1-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
2- औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0 प्र0 सरकार।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7- विशेष सचिव, नियोजन अनुभाग- 2/3/4
8- राज्य योजना आयोग-1 एवं 2
9- राज्य नियोजन संस्थान के समस्त प्रभागाध्यक्ष।
10- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद, उ0 प्र0।
11- राज्य समन्वयक, बायोइनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0 प्र0।
12- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश ● कॉम
www.shasnadesh.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।